प्रमुख सचिव नगर विकास महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 06.06.2020 का कार्यवृत्तः–

बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों की सूची संलग्न है।

नोडल अधिकारी का नामाकंनः–

बैठक के आरम्भ में उपस्थित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को यह अवगत कराय गया कि पूर्व में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त प्रतिभागी प्रशासनिक विभागों द्वारा विभागीय सचिव/विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को इस समिति की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु तथा अग्रेतर लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन किये जाने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाना है। अभी तक किसी विभाग द्वारा तदनुसार नोडल अधिकारी का नामांकन नही किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पुनः समस्त विभागों से इस विषय में कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही – समिति में प्रतिभागी समस्त प्रशासकीय विभाग)

2– बैठक में उपस्थित सदस्यों को अनुश्रवण हेतु बनायी गयी व्यवस्था के विभिन्न बिन्दुओं के विषयगत अबतक की गयी प्रगति और इस विषय में निरूपित संस्थागत के ढ़ाचें के विषयगत भिज्ञ कराया गया। मुख्यतः जिला पर्यावरण समिति के गठन और जनपद स्तर पर अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु किये जाने वाले कार्यों के अनुश्रवण के विषयगत पर्यावरण विभाग द्वारा बनाये गये पोर्टल www.upecp.in पर जनपदों द्वारा की जा रही प्रगति के विषय में यह संज्ञान में लाया गया कि वर्तमान में विद्यमान व्यवस्था में ऑनलाइन डाटा फीडिंग किये जाने का दायित्व समग्र रूप से जनपद पर कदाचित DSTO को निर्दिष्ट किया गया है। यह अनुभव किया गया कि उपरोक्त पोर्टल पर प्रगति आख्या भरे जाने के विषयगत निकाय स्तर पर भी यूजर आई.डी. और पासवर्ड होना चाहिये, जिससे निकाय की प्रगति का अनुश्रवण नियमित रूप से भली–भांति सुनिश्चित की जा सके। उपरोक्त हेतु निर्णय लिया गया कि पोर्टल में उक्त संशोधन कराये जाने के लिये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुरोध किया जाये।

(कार्यवाही – पर्यावरण विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3– सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियमावली 2016 के अनुपालन के विषयगत प्रोसेसिंग सुविधा विकसित किये जाने हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय द्वारा प्रगति प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में लगभग 582 निकायों द्वारा भूमि उपलब्धता की सूचना प्रेषित की गयी। कोविड–19 के कारण कतिपय निकायों से सूचना की पुष्टि पुनः किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। यह पाया गया कि विगत बैठक में 499 निकायों में भूमि उपलब्धता की सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार लगभग 83 निकायों में प्रगति हुई, परन्तु अभी भी 70 निकायों में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के विषयगत पुष्टि कराया जाना शेष है। राजस्व विभाग की ओर से प्रतिनिधि के रूप में राजस्व परिषद के संबंधित अधिकारी को इस विषयगत नियमों से भिज्ञ कराते हुए यह अनुरोध किया गया कि जहां कहीं भी भूमि अनुपलब्ध है उन निकायों में उपर्युक्त भूमि की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित कराने हेतु राजस्व विभाग द्वारा भी समस्त जिला मजिस्ट्रेट को इस विषयगत कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत किया जाये। साथ ही मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) द्वारा निर्गत निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में न केवल होने वाली जिला पर्यावरण समिति की नियमित बैठक जिला मजिस्टेट के स्तर पर होना आवश्यक है, बल्कि अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप निर्धारित बिन्दुओं पर अनुपालन कराये जाने हेतु जिला स्तर पर संबंधित जिला मजिस्टेट द्वारा अनुश्रवण कर मासिक रूप से प्रगति www.upecp.in पोर्टल पर अपनी समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के साथ अपलोड भी किया जाना है। जनपदों में उपरोक्त विषय में नियमित रूप में आख्या को पोर्टल पर

अपलोड नही किया जा रहा है। अतएव निर्णय लिया गया कि समस्त जिला मजिस्टेट को उक्त बिन्दुओं के विषय में नियमित रूप से कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये जाये।

(कार्यवाही – राजस्व विभाग/पर्यावरण विभाग)

4– **प्रोसेसिंग सुविधा का विकसित करना**:– समिति की विगत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य में पूर्व से स्वीकृत ऐसे प्लांट जो भूमि की अनुपलब्धता अथवा निजी आपरेटर के साथ विवाद के कारण अधूरे हैं, उनके विषय में सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम यथाशीध्र समुचित प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रेषित करें। इस विषय में प्रबन्ध निदेशक, जल निगम द्वारा विस्तृत रूप से ऐसे समस्त प्लांट के विषय में समिति को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए यह बताया गया कि आगामी 02 से 03 सप्ताह की अवधि में प्रत्येक दशा में समस्त विलम्बित प्लांट के विषयगत इनवेंट्री तैयार कर ली जायेगी। जिन प्लांटों में आपरेटर द्वारा प्रगति सुनिश्चित नही की गयी उसके पीछे मुख्य कारण पूर्व वर्षों में हुई निविदा में आपरेटर द्वारा व्यवहारिक रूप से जो दर दी गयी, अब आपरेटर उक्त निविदा में तदानुसार निर्धारित मूल्य पर कार्य न कर येन–केन–प्रकारेण परियोजना को विलम्बित रखे हुए है।

प्रबन्ध निदेशक जल निगम द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस विषय में संबंधित आपरेटर के विरूद्व वैद्यानिक कार्यवाही की प्रक्रिया हेतु विधिक सलाह लेते हुए कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की गयी और आगामी बैठक में उक्त के संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जायेगा। यह भी अवगत कराया गया कि जौनपुर के प्लांट का कार्य चल रहा है जो शीध्र ही पूर्ण हो जायेगा।

(कार्यवाही – प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

5– **कलेक्शन व परिवहनः–** अपशिष्ट के कलेक्शन एवं ट्रांसर्पोटेशन के विषयगत मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन द्वारा वर्तमान में कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में जारी मार्ग–निर्दिशका के अनुपालन के क्रम में निकायों में सैनिटाइजेशन एवं नियमित रूप से अपशिष्ट के कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था से अवगत कराया गया। यह निर्देश दिये गये कि पूर्व में जो धनराशि निकायों को अवमुक्त की गयी है, उसकी उपयोगिता की स्थिति ज्ञात कर समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त मिशन निदेशक द्वारा वाराणसी में डोर–टू–डोर कलेक्शन हेतु हुई निविदा की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि कोविड–19 के कारण लॉकडाउन की शिथिलता के पश्चात् यथाशीध्र अनुबन्ध गठित कराकर कार्यवाही की जाये और वाराणसी में हुई निविदा के अनुभव के आधार पर प्रत्येक बड़े महानगर में एक मॉडल निविदा का प्रारूप निर्गत कर निकायों के सहायतार्थ सुझावात्मक रूप से सर्कुलेट करने पर विचार किया जाये। साथ ही मिर्जापुर नगर पलिका परिषद हेतु की गयी निविदा एवं अनुबन्ध के आधार पर छोंटे निकायों के लिये भी इस विषय में एक मॉडल अनुबन्ध पत्र सर्कुलेट करने पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। एमआरएफ फैसेलिटी के विषयगत की जा रही प्रगति की सूचना अप्राप्त है। मिशन निदेशक को निर्देशित किया गया कि समस्त निकायों में इस विषय में की जा रही प्रगति की सूचना अद्यतन रूप से एकत्रित कर समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही – मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय))

6– **लीगेसी वेस्ट**:– लीगेसी वेस्ट निस्तारण के विषयगत समिति की संज्ञान में लाया गया कि आगरा नगर निगम में उपरोक्त कार्य प्रगति पर है जिसमें लगभग 8 लाख टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण किये जाने हेतु लक्ष्य दिसम्बर, 2020 तक का है। स्थल पर कार्य आरम्भ हो चुका है। मेरठ नगर निगम द्वारा स्वयं अपने स्तर से गावडी साइट पर लगभग 03 लाख टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण सुनिश्चित कराया गया। मथुरा में भी कार्य किया जा रहा है। शासन के निर्देशों के क्रम में सी0एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम द्वारा लीगेसी वेस्ट की निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसमें 10 शहरों के 26 लाख टन लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु संस्थाओं को इम्पैनल कर साइट

आवंटन की प्रक्रिया विचाराधीन है। समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि उपरोक्त प्रक्रिया यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाये, जिससे बड़े शहरों के लीगेसी वेस्ट के ट्रीटमेन्ट का कार्य तत्काल आरम्भ हो सके। **(कार्यवाही – विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग–5/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)**

7– **नवीन प्लांट का अधिष्ठापनः–** प्लांट के अधिष्ठापन के विषय में मिशन निदेशक द्वारा यह अवगत कराया गया कि यद्यपि कुल 37 स्थल हेतु प्रथम किश्त के रूप में 153 करोड़ की धनराशि निकायों को अवमुक्त की गयी परन्तु निकायों द्वारा इस विषय में डी0पी0आर0 प्रस्तुत करने में तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव निकाय में बताया गया है, साथ ही कतिपय निकायों द्वारा जो आगणन डी0पी0आर0 के नाम पर प्रस्तुत किये गये वह अत्यन्त सतही थे, जिसमें महज सिविल कन्सट्रक्शन के ऐसे कार्य थे जो प्रोसेसिंग से इतर थे। उपरोक्त विषयगत प्रगति महज इस बिन्दु पर हुई कि उक्त निकायों में स्थल का चयन हो गया है। साथ ही निकायों को मिशन निदेशालय द्वारा संबंधित स्थल की साइट डवलपमेन्ट, बाउन्ड्रीवाल का कार्य स्वयं के ससांधन से कराये जाने हेतु समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया। निकायों द्वारा वर्णित तकनीकी विशेषज्ञता की कठिनाई के दृष्टिगत यह विचारणीय है कि उपरोक्त कार्य C&DS उ0प्र0 जल निगम संस्था को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कार्य आरम्भ कराये जाने पर विचार किया जा सकता है, जिससे आगामी 06 से 09 माह में उक्त नवसृजित किये जाने वाले प्लांट के अधिष्ठापन कार्य हो जाये। उक्त विषयगत अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समुचित प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को प्रेषित किया जाये।

बैठक में उपस्थित आईआईटीआर के प्रतिनिधि डॉ0 प्रीति चतुर्वेदी से संचालित हो रहे प्लांट के कम्पोस्ट की गुणवत्ता एवं कैमिकल परीक्षण के विषयगत विस्तार से चर्चा की गयी और यह विनिश्चत हुआ कि विभिन्न निकायों में जो कम्पोस्ट निर्मित हो रही है, उनका नमूना विश्लेषण भी आईआईटीआर से कराया जाये, जिससे कम्पोस्ट की गुणवत्ता और उसमें पैथोजन/वीड के अवयव के विषयगत भी समुचित विश्लेषण उपलब्ध हो सके। साथ ही आईआईटीआर द्वारा यदि कम्पोस्ट की गुणवत्ता सुधारने हेतु इस विषयगत सुझाव दिया जा सकता है तो उपरोक्त तदानुसार निर्मित होने वाले कम्पोस्ट की गुणवत्ता सवर्द्धन का प्रयास किया जाये।
(कार्यवाही – मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय))

8– **नियमावली अधिसूचनाः–** ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली को अधिसूचित कराये जाने के विषयगत प्रगति के संदर्भ में समिति के समक्ष यह संज्ञान में लाया गया कि यद्यपि नियमावली के प्रारूप पर विधायी विभाग द्वारा विधीक्षण कर दिया गया है और उपरोक्त के नियमानुसार गजट नोटिफिकेशन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। परन्तु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की तिथि को ही लॉकडाउन आरम्भ हो जाने के कारण अग्रेतर गजट नोटिफिकेशन की कार्यवाही विलिम्बत रही। जून के प्रथम सप्ताह में उपरोक्त कार्यालय में कार्य आरम्भ होने के क्रम में अग्रेतर प्रगति की जायेगी। इस हेतु नियमावली का हिन्दी रूपान्तरण कराया जाना अनिवार्य बताया गया जोकि प्रगति पर है और उपरोक्त नियमावली के ड्राफ्ट को 15 जून के पूर्व गजट नोटिफिकेशन करा लिया जायेगा जिसके 02 सप्ताह की अवधि में आपत्ति/सुझाव के क्रम में अन्तिम रूप से उक्त को यथा सम्भव अग्रेतर 02 सप्ताह में सक्षम स्तर से अनुमोदित कराकर अधिसूचित करा लिया जायेगा। उक्त बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय द्वारा इस आशय से निर्देश दिये गये कि प्रयास किया जाये कि गजट नोटिफिकेशन हेतु ड्राफ्ट यथाशीघ्र तैयार हो जाये और उपरोक्त कार्यवाही को दैनिक रूप से अनुश्रवण करते हुए यथाशीघ्र सम्पादित कराया जाये।
(कार्यवाही –विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग–5/ मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय))

9– **मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) के आदेशों को अनुपालनः–** समिति के समक्ष मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) द्वारा पारित 10 जनवरी के आदेश के विषयगत विस्तृत परिचर्चा की गयी। साथ ही उपरोक्त आदेश में वर्णित 11 मुख्य चिन्हित बिन्दुओं (Thematic Areas) के विषयगत प्रगति के संबंध में परिचर्चा की गयी। यह पाया गया कि अभी प्रगति संतोषजनक नही है। अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रोसेसिंग सुविधा व्यवस्था विकसित करना, लीगेसी वेस्ट के रेमिडिएशन का कार्य आरम्भ करने, नालों के बायोरेमिडिएशन/फाइटो रेमिडिएशन का कार्य आरम्भ किये जाने के संबंध में जो कार्यवाही होनी थी वह अपेक्षानुसार सुनिश्चित नही हुई है। यद्यपि कोविड–19 के कारण निविदा की कार्यवाही एवं कार्यों के भौतिक रूप से लॉकडाउन की परिस्थिति में आरम्भ करने में कठिनाई रही तथापि इस विषय में निकाय स्तर पर यथाशीघ्र प्रगति सुनिश्चित कराये जाने हेतु अनुश्रवण किया जाये। समिति के संज्ञान में निकाय को इस विषयगत विगत समय में प्रेषित किये गये निम्न निर्देशों पत्र संख्या 103/स0न0वि0(अ)/2019, दिनांक 02.12.2019, संख्या 13/स0न0वि0(अ)/2020, दिनांक 20.01.2020, संख्या 11/स0न0वि0(अ)/2020, दिनांक 20.01.2020 एवं पीएमयू/3626/429(12), दिनांक 18.02.2020 से अवगत कराया गया। निर्देश दिये गये की सभी निकायों के साथ पुनः वीडियों कान्फ्रेसिंग कराते हुए इस विषय में सतत रूप से अनुश्रवण कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही – मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय))

10– **प्लास्टिक वेस्टः–** प्लास्टिक वेस्ट के विषय में परिचर्चा/समीक्षा किये जाने में यह पाया गया कि यद्यपि प्लास्टिक वेस्ट के विषयगत सिंगल यूज प्लास्टिक के संदर्भ में कुल लगभग 652 टन प्लास्टिक जब्त करते हुए कुल 7.39 करोड़ का जुर्माना अधिरोपित किया गया तथापि प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट कर उसके पुनः उपयोग किये जाने हेतु विभिन्न माध्यमों जैसेकि वेस्ट प्लास्टिक का सम्पर्क मार्गों के निर्माण में उपयोग, वेस्ट प्लास्टिक से फ्यूल का निर्माण जैसे बिन्दुओं पर अपेक्षित प्रगति नही हुई है। इस विषय में मिशन निदेशक द्वारा यह अवगत कराया गया कि यद्यपि वेस्ट प्लास्टिक के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त होने की सम्भावना अत्याधिक है। तथापि लोक निर्माण विभाग द्वारा उपरोक्त विषयगत मॉडल Estimate/SOP निर्गत न करने के कारण साथ ही उक्त हेतु पूर्व से विद्यमान हाटमिक्स प्लांट के स्तर पर वेस्ट प्लास्टिक के ग्रेन्यूल को मिक्स किये जाने हेतु संबंधित विभाग/फर्मों को निर्देश दिये जाने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है। उक्त विषयगत पूर्व में समिति के समक्ष विचार विर्मश कर यह निर्णय लिया गया था कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस विषयगत मार्ग–दार्शिका और दिशा–निर्देश निरूपित कर सभी सम्पर्क मार्गों का निर्माण करने वाले कार्यदायी विभागों को प्रेषित किया जाये। परन्तु अभी तक उक्त कार्य नही हो सका है। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि इस विषय में उनके स्तर से लोक निर्माण विभाग को पत्र प्रेषित किया जाये। यह निर्णय लिया गया कि निर्मित हो रहे एमआरएफ पर प्लास्टिक वेस्ट की छटायी ढलाई एवं उपरोक्त का बेलिंग कर ग्रेन्यूल बनाते हुए सम्पर्क मार्ग में निर्माण किये जाने हेतु इस विषय में एमआरएफ पर लगायी जाने वाली मशीनरी तथा कार्य किये जाने की प्रचलित व्यवस्था संबंधी SOP आरसीयूईएस द्वारा निर्मित कर एक सप्ताह की अवधि में मिशन निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन नगरीय को उपलब्ध करायी जाये और मिशन निदेशालय उपरोक्त पर अपने अभिमत के साथ मार्ग–निर्देश जारी किये जाने हेतु तदुपरान्त कार्यवाही करे।

(कार्यवाही– लोक निर्माण विभाग/आरसीयूईएस/मिशन निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन)

<u>कन्स्ट्रक्शन एण्ड डेमोलेशन वेस्टः–</u> उपरोक्त के विषयगत प्रगति के संबंध में मिशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि यद्यपि उपरोक्त हेतु राज्य की नीति अधिसूचित किये जाने का ड्राफ्ट मिशन निदेशालय द्वारा तैयार किया गया है। परन्तु निमयावली में निर्माण कार्यो से जुड़े विभागों का दायित्व होने के कारण अभी यह विनिश्चित

नही हो सका है कि उपरोक्त नीति के अधिसूचित कराने के साथ–साथ इस विषय के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य आवास विभाग से किया जाये अथवा नगर विकास विभाग से। चूंकि बड़े शहरों में जहां की कन्स्ट्रक्शन एण्ड डेमोलेशन वेस्ट अधिक जनित होता है वहां पर प्राधिकरणों द्वारा इस विषय में मलबा शुल्क प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त विषयगत आवास विभाग के साथ एक बैठक भी संयुक्त रूप से नगर विकास विभाग द्वारा की गयी थी। नीति का ड्राफ्ट प्रारूप मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक (CTCP) को प्रेषित किया गया है, और दोनों विभागों के मध्य समन्वय करते हुए नीति के प्रारूप को सक्षम स्तर से अनुमोदन कराकर प्रख्यापित करा दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि जून के अन्त तक इस विषय में नीति को प्रख्यापित करा लिया जाये साथ ही पूर्व में बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा एसओआर अधिसूचित कराये जाने हेतु उन्हें सूचित किया जाये।

(कार्यवाही– लोक निर्माण विभाग/ मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक /मिशन निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन)

<u>जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन</u>:– उपरोक्त विषयगत समीक्षा नही हो सकी क्योंकि चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि कदाचित कोविड–19 के कारण व्यस्त होने के दृष्टिगत उपस्थित नही हो सके। यद्यपि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारीगण के साथ विचार–विर्मश में यह बिन्दु आया कि जिस आधार पर CBWTF हेतु अनुमन्यता की जाती है उसमें मद एवं मानकों का परीक्षण किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि एक जनपद से दूसरे जनपद तक परिवहन कराया जाना अत्यन्त खर्चीला कार्य है और यदि कोई निजी आपरेटर सुविधा विकसित करना चाहता हो तो उसे अनुमन्य किये जाने पर विचार करना चाहिये। इस विषय में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं पर आगामी बैठक के पूर्व सूचना प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/चिकित्सा विभाग)

11– **इण्डस्ट्रियल वेस्टः** – इण्डस्ट्रियल वेस्ट के विषय में समीक्षा किये जाने में यह पाया गया कि उद्योग विभाग की ओर से बैठक में सीडा के अधिकारी के रूप में प्रतिभाग कर रहे है और उद्योग विभाग के द्वारा पर्यावरण के विषयगत अपनाये जाने वाले नीतिगत बिन्दुओं पर उनके स्तर पर पर्याप्त भिज्ञता अभी नही है। उपस्थित प्रतिनिधि को यह अवगत कराया गया कि पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुपालन में उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है ओर अनेक प्रकरणों में मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण के साथ शहरों में बढ़ रहे वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के दृष्टिगत अनके निर्देश जारी किये गये जिनके अनुसार नियंत्रक प्रशासकीय विभाग होने के कारण उद्योग विभाग को संबंधित उद्योगों के साथ समन्वय कर उक्त निर्देशों का अनुपालन कराया जाना होता है। मुख्य रूप से आवासीय क्षेत्रों में किसी प्रकार के उद्योग हेतु अनुमति न होना अथवा पूर्व से जो उद्योग नियमों के उल्लधन में हैं उनका आवासीय जोन/परिक्षेत्र से शिफ्ट कराया जाना, वायु तथा जल प्रदूषण हेतु मानकों के अनुरूप कारगर उपाय उद्योग में लगाया जाना जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट (तरल/ठोस आदि) ETP/CETP/STP व OCEMS से उक्त का जोड़ा जाना। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि बगैर ट्रीटमेन्ट के नगरीय निकाय के ड्रेन अथवा वातावरण में प्रवाहित न हो इस हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण कन्ट्रोल बोर्ड के साथ समन्वय कर मानको को सुनिश्चित कराना आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य विभाग के समन्वय से ही सम्भव है। अतः वर्णित बिन्दुओं दृष्टिगत पर्यावरण के मानको कों पूर्ण किये जाने में विभाग द्वारा की जा रही प्रगति से आगामी बैठक में भिज्ञ कराया जाये।

(कार्यवाही– उद्योग विभाग)

12– बैठक में प्लास्टिक वेस्ट एवं ईवेस्ट में एक्सटेंड EPR के विषयगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तृत सूचना नगर विकास विभाग को प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी।

(कार्यवाही– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–2095/नौ–5–20–418सा/18
लखनऊः दिनांक 13 जून, 2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी नगर विकास विभाग उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0।
8. प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन विभाग उ0प्र0।
9. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग उ0प्र0।
10. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0।
11. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0।
12. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0।
13. राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम0), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
14. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
15. आयुक्त, वाणिज्यि एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0।
16. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
17. सदस्य, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
18. निदेशक, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
19. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
20. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
21. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
22. निदेशक, नीरी, नागपुर।
23. निदेशक, आईआईटीआर लखनऊ।
24. अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
25. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव